रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 76] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 24, 1971/वैशाख 4, 1893

No, 76] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 24, 1971/VAISAKHA 4, 1893

भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April 1971

G.S.R. 615.—In exercise of the powers conferred by the provisio to article 309 of the Constitution and all other powers enabling him in this behalf, the President hereby makes the following rules to amend the Railway Board Secretariat Service Rules, 1969, namely:—

1. (i) These rules may be called the Railway Board Secretariat Service (Third amendment) Rules, 1971.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Railway Board Secretariat Service Rules, 1969:—

(1) for sub-rule (1) of rule 9, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"Subject to the provisions of sub-rule (3), recruitment to the **substantive** vacancies in the Section Officers' Grade shall be made on the following basis, namely:—

One-sixth of the substantive vacancies in the Section Officers' Grade shall be filled by direct recruitment on the results of competitive examinations held by the Commission for this purpose from time

to time for recruitment to the Central Services Class I and Class II. The remaining vacancies shall be filled by the substantive appointment of persons included in the Select List for the Section Officers' Grade. Such appointment shall be made in the order of seniority in the Select List except when, for reasons to be recorded in writing, a person is not considered fit for such appointment in his turn."

(2) In the Schedule, under the heading "A—Section Officers' Grade", for sub-paragraph (1) of paragraph 2, the following sub-paragraph shall be substituted, namely—

"2. *Maintenance* (1) Additions to the Select List for the Section Officers' Grade shall be made in such manner as the Central Government in the Ministry of Railways may determine from time to time, keeping in view the existing and anticipated vacancies, in equal proportions from:—

(a) permanent officers of the Assistants Grade, who have rendered not less than eight years' approved service in that Grade and are within the range of seniority, in the order of their seniority, subject to the rejection of the unfit;

(b) permanent officers of the Assistants' Grade, with the longest period of approved service in that Grade, and assessed by a selection committee to be set up by the Ministry of Railways on the basis of merit as suitable for inclusion in the Select List for the Section Officers' Grade; and

(c) persons selected on the results of the limited departmental competitive examination, held by the Ministry of Railways (Railway Board) from time to time, in the order of their merit.

The persons referred to in clauses (a), (b) and (c) shall be included in the Select List in the order of one person from those referred to in clause (a), one person from those referred to in clause (b) and one person from those referred to in clause (c) and so on in that order.

[No. E(RB)I-70/37/2.]

C. S. PARAMESWARAN,
Secy., Railway Board.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1971

सा० का० नि० 615.—संविधान की धारा 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा इस सम्बन्ध में उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 1969 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (i) ये नियम रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (तीसरा संशोधन) नियम, 1971, कहे जा सकेंगे :

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे :

2. रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 1969 में—

(1) नियम 9 के उप नियम (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"उप नियम (3) के उपबन्धों के अध्यधीन अनुभाग अधिकारी ग्रेड में अधिष्ठायी रिक्तियों पर नियुक्ति निम्नलिखित आधार पर की जायेगी, अर्थात् :—

अनुभाग अधिकारी ग्रेड की 1/6 अधिष्ठायी रिक्तियां, श्रेणी I और श्रेणी II की केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए आयोग द्वारा समय-समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेंगी । शेष रिक्तियां अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए चयन-सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की अधिष्ठायी नियुक्ति द्वारा भरी जायेंगी । ऐसी नियुक्ति चयन-सूची में वरिष्ठता क्रम के अनुसार की जायेगी, सिवाय इसके कि जब कोई व्यक्ति अपनी बारी पर ऐसी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं समझा जाता, जिसके लिए लिखित रूप में कारण बताये जायेंगे ।

(2) अनुसूची में "क—अनुभाग अधिकारी ग्रेड" शीर्षक के अन्तर्गत पैरा 2 के उप पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"2. अनुरक्षण (1) अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में परिवर्तन ऐसी रीति से जो केन्द्रीय सरकार का रेल मन्त्रालय विद्यमान और प्रत्याशित रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विनिर्धारित करे, निम्नलिखित में से समान अनुपात में किया जायेगा :—

(क) अयोग्य व्यक्तियों के प्रतिक्षेपण के अध्यधीन 'सहायक' ग्रेड के स्थायी अधिकारी, जिन्होंने उस ग्रेड में आठ वर्ष से अन्यून अनुमोदित सेवा की हो और जो वरिष्ठता परिसीमा के अन्तर्गत आते हों, अपनी वरिष्ठता-क्रम के अनुसार;

(ख) सहायक ग्रेड के स्थायी अधिकारी जिन्होंने उस ग्रेड में सबसे लम्बी अवधि की अनुमोदित सेवा की हो और जो रेल मंत्रालय द्वारा गठित की जाने वाली किसी प्रवरण समिति द्वारा अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन-सूची में सम्मिलित किये जाने के लिए योग्यता के आधार पर उपयुक्त समझे गये हों; और

(ग) ऐसे व्यक्ति जो रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा समय-समय पर आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर योग्यता क्रम में चुने गये हों ।

खण्ड (क) (ख) और (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति चयन-सूची में इस क्रम में लिए जायेंगे- खण्ड (क) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से एक, खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से एक और खण्ड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से एक और इसी क्रमानुसार आगे भी ।

[सं० ई० (आर० बी०) 1-70/37/2]

सी० एस० परमेश्वरन,
सचिव, रेलवे बोर्ड ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971